

न्यायालय तहसीलदार कठुमर जिला मालवर (राजस्थान)
 प्रकरण सं. 53/2017 : प्लान - P.L.R.A.C.T निर्णय दि. 9/11/17

निर्णय
 X

संक्षेप में वृत्तान्त निम्न प्रकार है। सहायक भाषीयन्ता P.W.D कठुमर ने इस न्यायालय को इस आराय की रिपोर्ट की है कि तहसील कठुमर में KM 58/0 आवादी क्षेत्र कठुमर नगर कठुमर खेडली सडक पर ग्राम पंचायत कठुमर द्वारा नाला निर्माण किया जा रहा है जिसके मार्ग में नीचे दिये गये विभिन्न अतिक्रमण द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। जिसकी सूची सचिव एवं ग्रामसेवक कठुमर ने प्रस्तुत की है। जिस पर प्रकरण नं. 53/2017 रिकार्ड किया जाकर अतिक्रमण को जारी नोटिस, P.L.R.A.C.T 1956 के अन्तर्गत जारी कर न्यायालय में तलव किया गया। सहायक भाषीयन्ता P.W.D कठुमर एवं सचिव एवं ग्रामसेवक ग्राम पंचायत कठुमर द्वारा प्रस्तुत सूची एवं इनके द्वारा किया गया अतिक्रमण का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	अतिक्रमण करने वाले का नाम	निवासी	अतिक्रमण का प्रकार	रकबा (एरिया)
1	श्रीहरिप्रसाद सो. सोहनलाल शर्मा	कठुमर	कमरा	9' x 8'
2	॥ महेंद्र सो. हेतराम शर्मा	कठुमर	लैटरिन टैंक	15' x 6'
3	॥ हरिसोम सो. बलराम शर्मा	कठुमर	लैटरिन टैंक	15' x 6'
4	॥ कुमरासिंह सो. अजुनि सिंह चौधरी	कठुमर	लैटरिन टैंक	22' x 6'
5	॥ शंभु सो. सुजमल चौधरी (दहीपुरवाले)	कठुमर	कुत्ताई का घेसर	10' x 8'
6	॥ हरिप्रसाद सो. सोहनलाल शर्मा	कठुमर	रीनशॉड	16' x 9'
7	॥ महेंद्र सो. शोपुराम चौधरी	कठुमर	रीनशॉड टैंक	23' x 8'
8	॥ शोला सो. मनफुल गाडिया लुधर	कठुमर	बैठ	20' x 20'
9	॥ विजेन्द्र सुजमल सो. नारायण सिंह जाट (दुप्याणावाले)	कठुमर	रीनशॉड	160' x 8'

10	डीब्राम शरणसिंह १० मंगलसिंह राजपूत (रेवी वाले)	रेवी	दुकान	27' x 10'
11	॥ अनिल ३० किरानलाल खण्डेलवाल	कठुभर	दुकान व रीनशॉड	16' x 10'
12	॥ वणकीरसिंह ३० गच्छीराम चौधरी	कठुभर	दुकान व रीनशॉड	58' x 16'
13	॥ सतवीर ३० परणसिंह चौधरी	कठुभर	रीनशॉड	32' x 8'
14	॥ बुद्धीलाल ३० भवरं खरीक	कठुभर	दुकान व रीनशॉड	16' x 10'
15	॥ बुद्धीलाल ३० भवरं खरीक	कठुभर	दुकान व रीनशॉड	50' x 5'
16	॥ रामलाल ३० कठुवाराम खरीक	कठुभर	रीनशॉड	39' x 10'
17	॥ ब्रह्मलाल हरिबाम भागभल पुत्रान - मुखपाल खरीक	कठुभर	रीनशॉड	42' x 12'
18	॥ गोपाल ३० मन्धी खरीक	कठुभर	रीनशॉड	38' x 10'
19	॥ अपराम ३० मन्धी गाल खरीक	कठुभर	रीनशॉड	23' x 10'

गौठ सचलान (अतिमुमियान) नियत तिथि को ज्यासाल्य मे उपोषित हुये। हमने फ्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। गौठ साण 1 मण 19 (अतिमुमियान) को आरजी मुतवाजा से अधिकतम लुन्त प्रभाव से व्यक्त किया जाता है। तथा लगान 50/- प्रति अतिमुमी को शास्ती (जुमाने) से दण्डित किया जाता है। TRA/पखारी को जुमाना राशिवरुली हेतु अधिकतम जारी हो। पखारी राशी कठुभर जमा कोष कराई जावे। फ्रावली फेशल शुमार होकर व नम्बर से कम होकर दायील पत्तर हो। पुनाथा

यह निर्णय राज दिनांक 2-11-17 को मेरे हस्ताक्षर एवं मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार
कठुभर (अलवर) राज